कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

(1)

आदेश पत्रक

– ता० ———————— से ———————— तक

माथ जिला– लातेहार　　वाद संख्या– 08 /2022-23 Case.. Online 13/22

र — तितिहा नगर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
.2	आवेदक त्रिपति देवी पति- स्व0 प्रभानंदन सिंह के द्वारा मौजा- बालूमाथ, खाता- 427, प्लाट- 1272, 1273, 1274, 1663, 1906, 1918, 1919, 2101, 2104, 2137, 2332, 2354, 2340, 2878 कुल 14 प्लाट में कुल रकबा 3.71 ए0 भूमि मेरे पूर्वज का है। वर्तमान में श्री भागे सिंह एवं उनके पुत्रों के द्वारा मेरे हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। आवेदक का कहना है कि भूमि बिक्री पर रोक लगाया जाए तथा 3.71 ए0 भूमि में मेरे हिस्से की भूमि तथा मेरे देवर विजय कुमार सिंह पिता- स्व0 जगदीश सिंह को उनके हिस्से की भूमि का अलग जमाबंदी कायम की जाए। न्याय हेतु आवेदिका के द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया है। सभी पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख 12.7.22 को उपस्थापित करें। 4.7.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	A-47794 P. 19/2022 A 44673 नोटिस पाया [illegible]

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————— से ————————

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 01 /2022–23 one line case 13/22

वाद का प्रकार ————————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12.7.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। पुनः नोटिस निर्गत करें। वाद की अगली तिथि 25/7/22 को निर्धारित की जाती है। अंचल अधिकारी बालूमाथ	
25.07.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्षकार का कहना है रामलखन (?) सिंह हमारे पिता जी के बड़े भाई हैं इसलिए खाता सं० 427 मौजा-बालूमाथ का हिस्सा बनता है। द्वितीय पक्षकार का कहना है कि रामलखन (?) सिंह की एक पुत्री राजो देवी के द्वारा 1985 में अंजु (?) शरण सिंह को जमीन बिक्री की गयी है। उक्त जमीन में काफी तर्क को सुना गया। द्वितीय पक्षकारों के द्वारा अंचल से विगत 32 सालों से लगान जमा होने के संबंध में बताया गया। प्रथम पक्षकार के द्वारा राजो देवी के द्वारा अंजु (?) शरण सिंह एवं विजय सिंह के पत्नी शांति देवी को [illegible] देवी के द्वारा की गयी केवाला की जाँच की जाए। द्वितीय पक्षकार के द्वारा वंशावली पर	

Scanned with CamScanner

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3
[illegible] [illegible] किया गया [illegible] है द्वितीय पक्षकार के द्वारा साक्ष्य देने हेतु समय की मांग की गयी। अभिलेख दिनांक 6.8.22 को पेश।	
अंचल अधिकारी बालूमाथ	
अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया की [illegible] [illegible] के नाम पर जमाबंदी गलत चल रहा है इसकी जाँच की जाए। द्वितीय पक्ष का कहना है मौजा- [illegible], (खाता-[illegible]) [illegible] का [illegible] [illegible] भूमि में [illegible] देवी के द्वारा [illegible] [illegible] को केवाला किया गया था जिसे अंचल के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु समय की मांग की गयी। अभिलेख दिनांक 26.8.22 को पेश।	
6.8.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – दि० ---------------- से ---------------- तक

Online case 13/22 (5)

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 08 /2022-23

वाद का प्रकार — विविधवाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15.9.22	उभयपक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष की ओर से विजय कुमार सिंह उपस्थित। द्वितीय पक्षकार उपस्थित। प्रथम पक्ष की ओर से बयान दिया गया की निर्मल सिंह के 4 पुत्र थे जोगेश सिंह, महेश सिंह, रामनारायण सिंह एवं देवी सिंह। श्री विजय सिंह का कहना है वाद दायर करने वाले त्रिपुरी देवी के ओर से जो वंशावली दी गयी है वह गलत एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाया गया है। इनका कहना है कि C.S खतियान के एवं R.S खतियान में भी प्रश्नगत भूमि रामनारायण सिंह की व्यक्तिगत सम्पति थी। प्रश्नगत भूमि पर इन लोगों का कोई दावा नहीं है। प्रथम पक्षकार स्पष्ट रूप से विवादित भूमि पर अपना पक्ष को स्वीकार करते हैं। द्वितीय पक्षकार का कहना है कि पूर्व से मेरा जोताई चल रहा है। रकबा को कब्जा की कृपा की जाए। वाद में सुनवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। वाद को आदेशार्थ दिनांक 22.9.22 को रखें। 15/9/22 अंचल अधिकारी, बालूमाथ	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————— से ———— (6)

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 08 /2022-23 on line case 13/22

वाद का प्रकार ————————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22.9.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्षकार उपस्थित। उभय पक्षकारों की बातों को एवं तर्क को ध्यानपूर्वक देखा। प्रथम पक्षकार की ओर से विजय सिंह का गवाही सम्पन्न हो चुका है प्रथम पक्षकार के एक पक्ष-उमीत सिंह जो वाद दायर करने वाली शिकारी सिंह के पुत्र के द्वारा पत्र के माध्यम से बताया गया है कि अंचल का आयोजन किया गया है जिसके कारण भौतिक रूप से उपस्थिति दर्ज करना कठिन है। उभय पक्षों की ओर से कोई साक्ष्य देने हेतु किसी भी प्रकार की समय की मांग नहीं की गयी है। वाद को सुनवाई दिनांक 7.10.22 को रखी जाती है। उभय पक्ष को अनिवार्य नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	
7.10.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्षकार अनुपस्थित द्वितीय पक्षकार उपस्थित। प्रथम पक्षकार की तरफ से एक व्यक्ति विजय सिंह का बयान	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————— से ———————— तक

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 08 /2021–22 One time case 13/22 (7)

वाद का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	पूर्व में भी गयी थी प्रथम पक्षकार के मिश्री देवी या उनके पुत्र श्री अमित सिंह को बार-बार नोटिस देने के बाद भी न्यायालय में अनुपस्थित पाए गए। उनका पक्ष रखना आवश्यक है। उनके द्वारा आवेदन के माध्यम से समय सीमा 14.10.22 तक मांग की गयी है। द्वितीय पक्षकार न्यायालय में लगातार उपस्थित होकर अपनी बात रख रहे हैं तथा विवादित भूमि पर अपना दावा के समर्थन में सभी कागजात न्यायालय को दिखला रहे हैं। चूंकि इस वाद में वाद दायर करने वाले स्वयं लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं, जो उक्त भूमि पर अपनी दावा को कमजोर सिद्ध करता है। वाद में उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें। पुनः दिनांक 28.10.22 को उपस्थापित करें। 7.10.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (10)
1	2
10-1-2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके माताजी गंभीर बिमारी से ग्रस्त हो गई हैं। उनको इलाज हेतु बाहर जाना जरूरी है। जिसके कारण वो महीने समय को अंदर एवं भौतिक उपस्थिति में असमर्थ हैं। द्वितीय पक्ष उपस्थित। पदाधिकारी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 24.01.2023 को उपस्थापित करें। 11.1.23 अंचल अधिकारी [illegible]
24-01-23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। पदाधिकारी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 2.2.23 को उपस्थापित करें। 24.1.23 अंचल अधिकारी [illegible]

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (12)
1	2
11-3-2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्षकार अनुपस्थित। द्वितीय पक्षकार उपस्थित। प्रथम पक्षकार वाद में सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होकर उनके द्वारा को कमजोर करता है। वाद की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। किसी प्रकार की साक्ष्य की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है उभय पक्ष के द्वारा। वाद के फैसला हेतु दिनांक 25.03.23 को रखें। उभय पक्षकार को नोटिस निर्गत करें। 11/3/23 अंचल अधिकारी [illegible]
25.03.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 15.04.2023 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी [illegible]

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15.5.23	अभिलेख उपस्थित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष उपस्थित। वाद में सुनवाई सम्पूर्ण हो चुकी है। वाद को आदेश हेतु दिनांक 20.5.23 को रखें। 15/5/23 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (14)	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। पूर्व से आदेश की तिथि निर्धारित है। आदेश निम्नवत दी जाती है। प्रथम पक्षकार आवेदिका शिवपति देवी पति स्व० अशनंदन सिंह के द्वारा मौजा बालूमाथ खाता 427 प्लॉट 1273, 2104, 2354, 2540, 2878 कुल रकबा 1.95 ए० भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए वाद का आरंभ किया गया। इनका कहना है कि रामनारायण सिंह की सम्पति पर हमारा और मेरे देवर विजय सिंह का हक बनता है, इसलिए नामांतरण हम लोगों के नाम से किया जाय। साक्ष्य के रूप में इनके द्वारा ऑनलाईन खतियान, पंजी–II, वंशावली दर्शाया गया है। प्रथम पक्षकार शिवपति देवी अस्वस्थ्य रहने के कारण वाद में अपना पक्ष रखने के लिए अपने पुत्र अमित कुमार सिंह को उपस्थिति दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया जिसे स्वीकृत किया गया। द्वितीय पक्षकार शंभूशरण सिंह व अन्य की ओर से उनके पुत्र संतोष सिंह के द्वारा उपस्थित होकर न्यायालय को बताया गया कि मौजा बालूमाथ के आर०एस० खाता 427 प्लॉट 1906, 1918, 2103, 2104, 2540, 2878, 1272, 1273, 1274, 2104 कुल रकबा 3.54 ए० का ऑनलाईन पंजी–II में जमाबंदी पूर्व अंचल अधिकारी के द्वारा विविध वाद संख्या–244 / 2017–18, 285 / 2017–18 के द्वारा कायम किया गया था। यह ऑनलाईन जमाबंदी का आधार सी०एस० खाता 338, 47, 337, 103, 338, 217, 255 व अन्य प्लॉट कुल रकबा 3.54 ए० से शम्भू शरण सिंह पिता ब्रजमोहन सिंह को आवेदक राजो देवी पति स्व० सत्यदेव सिंह के द्वारा 1989 में लिखी गयी गई है। सी०एस० खाता से भूमि प्राप्त करने के बाद दाखिल खारिज कराया गया। नामांतरण वाद संख्या–174 / 1990–91 पंजी–II में दर्ज है। ऑनलाईन लगान रसीद एवं शुद्धि पत्र निर्गत है। द्वितीय पक्षकार का कहना है कि राजो देवी अपनी हिस्से की सम्पत्ति अपनी बहन लालो देवी पति बृजमोहन सिंह के पुत्र शंभू शरण सिंह को केवाला कर दी थी। द्वितीय पक्षकार का कहना है कि प्रथम पक्षकार के द्वारा दिये गये वंशावली गलत है तथा तथ्यों को छुपाकर वंशावली दी गई है। उभय पक्षकारों	

Scanned with CamScanner

की बातों, तर्कों को सुना एवं उपलब्ध कराये गये सभी साक्ष्यों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। इस वाद में निम्न तथ्य सामने आये :–

1– प्रथम पक्षकार शिवपति देवी पति अशनंदन सिंह के द्वारा वंशावली त्रुटिपूर्ण दिया गया है जिसमें उनके द्वारा निशान सिंह के केवल दो पुत्र रामनारायण सिंह वे देवकी सिंह बताये है। द्वितीय पक्षकार यह वंशावली को गलत बतलाते है वे स्वीकार करते है तथा पुनः 18.11.2022 को लिखित आवेदन देते है जिसमें स्पष्ट करते है कि निशान सिंह के चार पुत्र थे रामनारायण सिंह, देवकी सिंह, महेश सिंह, गणेश सिंह। प्रथम पक्षकार द्वारा मिथ्या एवं भ्रामक वंशावली प्रस्तुत कर अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया जाना गलत है।

2– आर0एस0 खाता 427 में जो जमाबंदी कायम की गई वह पूर्व अंचल अधिकारी बालूमाथ के द्वारा विविध वाद संख्या 244/2017–18, 285/2017–18 में सुनवाई के आधार पर कायम की गयी है। विविध वाद पंजी देखने में स्पष्ट होता है कि जमाबंदी कायम करने हेतु वाद चलाया गया है।

3– आर0एस0 खाता 427 में जमाबंदी कायम करने का आधार सी0एस0 खाता 338, 47, 337, 103, 217, 255 व अन्य प्लॉट कुल रकबा 3.54 ए0 भूमि का राजो देवी पति सत्यदेव सिंह के द्वारा अपनी बहन लालो देवी पति बृजमोहन सिंह के पुत्र शंभूशरण सिंह को 1989 में केवाला कर दिया था। इसी भूमि का सी0एस0 खाता एवं आर0एस0 खाता प्लॉट परिवर्तित कर पंजी–II अद्यतन किया गया। चूंकि यह भूमि भी पहले भी शंभूशरण सिंह के पूर्वज की थी इसलिए तत्कालिन अंचल अधिकारी के द्वारा पंजी–II अद्यतन की गयी ।

4– प्रथम पक्षकार शिवपति देवी के देवर विजय सिंह पिता जगदीश सिंह के द्वारा अंचल न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं ब्यान देते है कि शिवपति देवी के द्वारा दी गयी वंशावली गलत है। साथ ही बताते है कि सी0एस0 खाता में एवं आर0एस0 खाता में रामनारायण सिंह की जो सम्मति है उसमें हमलोगों का कोई भी दावा नहीं है यह रामनारायण सिंह की खतियानी सम्पति थी। इस ब्यान से प्रथम पक्षकार का दावा कमजोर होता है क्योंकि शिवपति देवी का यदि उक्त भूमि पर हक बनता है तो विजय सिंह का भी हक बनता है परन्तु विजय सिंह अपना दावा को खारिज करते है। इसके स्पष्ट है प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर दावा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर रहे है।

Scanned with CamScanner

(16)

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

5– वर्तमान भूमि पर द्वितीय पक्षकार का दखल कब्जा है और उक्त खाता की भूमि में द्वितीय पक्षकार ही बिक्री कर रहे है। प्रथम पक्षकार के द्वारा रामनारायण सिंह के अन्य सम्पत्ति खाता 76 एवं 77 में भूमि बिक्री की गयी थी जिसको अंचल अधिकारी के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

6– सरकार के अधिसूचना 438 दिनांक 31.10.19 के द्वारा लातेहार जिला में रिविजन सर्वे को त्रुटिपूर्ण माना गया है तथा पुनः Re-Survey हेतु सरकार से पत्र निर्गत है। प्रशासनिक स्तर से Re-Survey हेतु तैयार की जा रही है तथा अधिकार अभिलेख को इस Re-Survey में गलत ROR/अभिलेख को सुधार किया जा सकता है।

7– प्रथम पक्षकार के बारे में ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनके पक्ष में Letter of Administration से संबंधित अपील को स्वीकार किया गया है। यदि भविष्य में उक्त आलोक में कोई निर्णय माननीय न्यायालय के द्वारा भूमि के बंटवारा या हिस्सेदारी या मालिकाना हक के संबंध में पारित किया जाता है तो सभी पक्षकारों को न्यायालय का आदेश स्वीकार होगा।

उभय पक्षकारों के द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों एवं विभिन्न तथ्यों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि प्रथम पक्षकार का दावा को खारिज किया जाता है। उक्त मौजा बालूमाथ के आर0एस0 खाता 427 में पूर्व अंचल अधिकारी बालूमाथ के द्वारा शंभू शरण सिंह के नाम से जमाबंदी कायम की गयी है जो विधि सम्मत प्रतीत होती है। इसलिए उक्त खाता में खतियानी रैयत रामनारायण सिंह की सम्पति में प्रथम पक्षकार का हक हैकियत नहीं बनता है। प्रथम पक्षकार को रिविजन सर्वे को चुनौती व्यवहार न्यायालय लातेहार में समय रहते देना चाहिए था जो उनके द्वारा ऐसा नहीं किया। अंचल की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार सीमित है। अंचल के इस निर्णय से उभय पक्षकारों एव संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं थाना प्रभारी बालूमाथ को अवगत करायें असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

20/4/23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

20/4/23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Digitally signed by MD AFTAB ALAM
Date: 2023.09.21 16:59:57 +05:30
Location: 192.168.6.91

Scanned with CamScanner